

कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 1681 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026

रायपुर,

दिनांक 16/10/26

// सूचना //

प्रवेश वर्ष 2026 - NEET UG (MBBS & BDS) पाठ्यक्रम के

स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड काउंसिलिंग हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों के लिए संस्था चयन संबंधी

प्रवेश वर्ष 2026 - NEET UG (एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस.) पाठ्यक्रम के तृतीय चरण (मॉप-अप राउण्ड) आवंटन में प्रवेश उपरांत रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय / निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड की काउंसिलिंग के लिए सभी पात्र अभ्यर्थियों से नवीन पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन तथा पूर्व पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन संस्था चयन आमंत्रित किए जाते हैं।

सभी आवेदक ऑन-लाईन आवेदन एवं संस्था चयन करने के पूर्व क्रमांक: **RULE-503/30/2025/ MED.** छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2025 (विशेषकर आरक्षण/काउंसिलिंग प्रक्रिया/बॉण्ड इत्यादि) का पूर्णतः अध्ययन कर ही ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ करें, जो की वेबसाइट www.cgdme.in एवं <https://cgdme.admissions.nic.in/> में उपलब्ध है।

नवीन ऑनलाईन आवेदन एवं संस्था चयन प्रक्रिया हेतु समय-सारिणी

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	ऑनलाईन आवेदन करने हेतु प्रारंभ एवं अंतिम तिथि	दिनांक 17 अक्टूबर 2026, समय Server Time 11:00 Hrs (11:00 AM) से दिनांक 18 अक्टूबर 2026, समय Server Time 17:00 Hrs (05:00 PM) तक
2	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग हेतु प्रारंभ एवं अंतिम तिथि (Choice Filling and Locking)	दिनांक 17 अक्टूबर 2026, समय Server Time 11:00 Hrs (11:00 AM) से दिनांक 18 अक्टूबर 2026, समय Server Time 23:59 Hrs (11:59 PM) तक

नोट:-

1. छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2025 के नियम 7(xv) के अनुसार इस चरण में केवल पूर्व पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें पूर्व के किसी भी चरण में सीट आवंटित नहीं हुई है, तथा नवीन पंजीयन करने वाले पात्र अभ्यर्थी ही सम्मिलित हो सकेंगे।

क्रमश--2--

2. पूर्व से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों को उपरोक्त उल्लेखित तिथि में संस्था चयन करना आवश्यक है चूंकि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में चयन किये संस्था स्वतः शुन्य हो गये हैं, अर्थात् संस्था चयन रिक्त हो गया है, अतः स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड की काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए पुनः संस्था चयन करना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी संस्था चयन नहीं करेंगे तो उन्हें स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड की काउंसिलिंग में सीट आवंटन नहीं किया जा सकेगा।
3. पूर्व में पंजीकृत वे अभ्यर्थी, जिन्होंने पहले केवल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का चयन किया था, यदि वे आगामी काउंसिलिंग में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का चयन करना चाहते हैं, तो उन्हें निजी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु निर्धारित पंजीयन राशि और पूर्व में जमा पंजीयन राशि के मध्य के अंतर की राशि का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। उक्त अतिरिक्त भुगतान के उपरांत ही अभ्यर्थी निजी चिकित्सा महाविद्यालय का चयन कर सकेंगे।
4. स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड की काउंसिलिंग हेतु नवीन पंजीयन तथा पूर्व पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाईन आवेदन में संशोधन (Edit) करने की सुविधा आवेदन की अंतिम तिथि तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। किन्तु, ऑनलाईन आवेदन में ऐसी प्रविष्टियाँ (Entries), जो केन्द्र शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए परीक्षा परिणाम डाटा से सीधे प्राप्त होती हैं, तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्ट किया गया मोबाइल नंबर एवं ई-मेल पता अपरिवर्तनीय रहेंगे।
5. द्वितीय चरण एवं आगामी सभी काउंसिलिंग चरणों में सीट आवंटन के उपरांत यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है अथवा प्रवेश लेकर सीट का त्याग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई पंजीयन राशि राजसात (Forfeit) कर ली जाएगी।

अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संस्था चयन करते समय केवल उसी महाविद्यालय का चयन करें, जिसमें वे प्रवेश लेने के इच्छुक हों।

6. Stray Vacancy Round के उपरांत सीटें रिक्त रहने पर पर्याप्त समय उपलब्ध होने अथवा चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) द्वारा प्रवेश की समय-सारिणी में संशोधन किये जाने की स्थिति में, इस चरण में अभ्यर्थियों द्वारा किये गये संस्था चयन (Choice Filling) के आधार पर पुनः सीट आवंटन किया जा सकेगा।
7. काउंसिलिंग की समस्त प्रक्रिया (पंजीयन राशि भुगतान, संस्था तथा विषय चयन, च्वाइस लॉकिंग इत्यादि) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की जाती है, इसलिए अपूर्ण अथवा गलत जानकारी प्रदाय करने की स्थिति में अगर अभ्यर्थी का पंजीयन अथवा आवंटन निरस्त किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल अभ्यर्थी की होगी एवं यह कार्यालय अथवा काउंसिलिंग समिति किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी।



8. अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) श्रेणी में प्रवेश की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है (छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम 2025 के नियम 13 (ब) एवं के 13 (द) के अनुसार) अतः उक्त सीटों का अंतरण प्रबंधन नियतांश में किया गया है।
9. आगामी काउंसिलिंग की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाइट www.cgdme.in एन.आई.सी. की वेबसाइट <https://cgdme.admissions.nic.in/> का नियमित अवलोकन करें।
10. सभी शासकीय/निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय का आवंटन कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति द्वारा नियमानुसार ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, अतः किसी व्यक्ति/संस्था के प्रवेश दिलवाने संबंधित धोखे में नहीं फंसे।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


16/10/26

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा